

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- 276/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-61/2008
देहरादून: दिनांक: 06 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से सभी स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर सात प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक : 276/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-61/2008 , तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूं /गढ़वाल उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की, जिला हरिद्वार को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे शासकीय गजट में प्रकाशित कर 200-200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 का उपलब्ध करा दें।
8. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।